



उद्यानिकी महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

दुर्गापुरा, जयपुर—302018



क्रमांक: एफ. () श्रीकनकृविवि/उद्या. महा./भण्डार/2025/1350

दिनांक: 12/6/2025

खुली निविदा सूचना

उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कृषि प्रायोगिक, कृषि से संबंधित व अन्य कार्यों हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति आवश्यकतानुसार एवं महाविद्यालय में प्रतिदिन साफ सफाई कार्य करवाने के लिए इच्छुक पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों/सेवाप्रदाताओं संस्थाओं जिनके पास श्रमिक आपूर्ति/सेवा प्रदाता लाईसेन्स हो, निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 23.06.2025 को प्रातः 12.00 बजे तक सीलबन्द निविदाएं द्वि-पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रूपये 500/- Dean, College of Horticulture, Durgapura, Jaipur के पक्ष में बैंक ड्राफट, बैंक चैक या नगद राशि का भुगतान कर दिनांक 23.06.2025 को प्रातः 10.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं तथा भरे हुये निविदा फार्म प्रातः 12.00 बजे तक जमा कराने होंगे अथवा www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। प्राप्त निविदा उसी दिन दोपहर 02.00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा गठित कमेटी द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जावेगी, निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

12/6/2025
अधिष्ठाता
DEAN

College of Horticulture
(SKN Agriculture University, Jobner)
Durgapura, Jaipur-302018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भिजवा कर निवेदन है कि आप निविदा खोलने की नियत दिनांक को महाविद्यालय में उपस्थित होवें अथवा आपका प्रतिनिधि नियुक्त करावें।
2. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएँ।
3. संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर
5. कैशियर, लेखा शाखा, उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर।
6. नोटिस बोर्ड, उद्यानिकी महाविद्यालय /रारी, दुर्गापुरा, जयपुर / श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।

12/6/2025
अधिष्ठाता
DEAN

College of Horticulture
(SKN Agriculture University, Jobner)
Durgapura, Jaipur-302018

उद्यानिकी महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

दुर्गापुरा, जयपुर

निविदा प्रपत्र – 1 (दिशा-निर्देश)

उद्यानिकी महाविद्यालय दुर्गापुरा, जयपुर पर विभिन्न कृषि संबंधी कार्यों के लिए उच्च कुशल, कुशल, अद्वा कुशल, अकुशल श्रमिक आपूर्ति एवं महाविद्यालय मे साफ सफाई कार्य हेतु निविदा।

क्र. सं.	कार्य का विवरण
1	कार्य का नामः— उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर के परिसर पर उच्च कुशल, कुशल, अद्वा कुशल व अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति एवं महाविद्यालय मे साफ सफाई कार्य
2	अनुमानित वार्षिक राशि: रु.7.5 लाख
3	बजट मदः— उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर
4	कार्य की अनुमानित अवधि: कार्यादेश से एक वर्ष
5	निविदा संदर्भ :— निविदा क्रमांक दिनांक
6	निविदा प्रपत्र :— एक
7	निविदा प्राप्त करने का समय :— कार्यालय कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे सायं 05:00 बजे तक
8	निविदा प्राप्त करने का अन्तिम तिथि व समय :— दिनांक 23.06.2025 को सुबह 10.30 बजे
9	निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि:— दिनांक 23.06.2025 को प्रातः 12:00 बजे तक
10	निविदा खोलने की तिथि:— दिनांक :— 23.06.2025 को दोपहर 02:00 बजे
11	निविदा खोलने का स्थानः— उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर
12	पत्र व्यवहार हेतु पता :— अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर
13	तकनीकी निविदा प्रपत्र अ एवं इसके सलग्नक लिफाफा नं. 1 में देना है।
14	दरें प्रपत्र—ब में दर्शाई गई तालिका में लिफाफा नं. 2 वित्तीय निविदा में देनी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

B2

DEAN

College of Horticulture
(SKN Agriculture University, Jobner)
Durgapura, Jaipur-302018

उद्यानिकी महाविद्यालय दुर्गापुरा, जयपुर

प्रपत्र - अ

(लिफाफा नं. 1 में रखे)

तकनीकी निविदा

श्रमिक आपूर्ति एवं साफ सफाई कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

- के लिए निविदा (कार्य का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की है)
 - निविदा प्रस्तुत करनें वाले का नाम व पता.....
-
.....
.....

- नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है: अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर
- सन्दर्भ :
- हम निविदा सूचना संख्या दिनांक की सभी शर्तों से सहमत है एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्तें मंजूर है, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये है। निविदा के लिए आवश्यक सभी प्रमाण पत्र (सलंगनक) सलंगन कर दिए है।
- निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि 500/- डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या दिनांक Dean, College of Horticulture, Durgapura, Jaipur के पक्ष में संलग्न है या कार्यालय में जमा करा दिया है।
- धरोहर राशि (अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत) 15000/- डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या दिनांक Dean, College of Horticulture, Durgapura, Jaipur के पक्ष में संलग्न है।
- निविदादाता का घोषणा पत्र संलग्न है।
- जी.एस.टी. नं. छाया प्रति संलग्न है।
- शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील कर दिए गए है।
- निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ई.एस.आई.व ई.पी.एफ. पंजीकरण, पैन कार्ड सलंगन है।
- अनुभव प्रमाण पत्र, ओसत टर्न ओवर प्रमाण पत्र CA से प्रमाणित संलग्न है।
- समस्त दस्तावेज तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) में संलग्न है तथा वित्तीय बिड लिफाफा नं. 2 में संलग्न है और दोनों लिफाफे एक सीलबन्द लिफाफे में बन्द है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(B)
DEAN
College of Horticulture
(SKN Agriculture University, Jobner)
Durgapura, Jaipur-302018

उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर

वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न कृषि कार्यो हेतु श्रमिक आपूर्ति एवं साफ सफाई कार्य हेतु निविदा

- बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार उपलब्ध कराना होगा। (संलग्नक लिफाफा नं.1 में रखे)

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970)				i
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				ii
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				iii
4	वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी.				iv
5	आयकर (पैन नम्बर)				v
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				vi
7	फर्म का पूर्ण पता मय दुरभाष व ई मेल				

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

Ben
DEAN
 College of Horticulture
 (SKN Agriculture University, Jobner)
 Durgapura, Jaipur-302018

उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (रु.)

वर्ष: 2021-22

वर्ष: 2022-23

वर्ष: 2023-24 / 2024-25

योग

ओसत टर्न ओवर

सी.ए.द्वारा प्रमाणित

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर व दिनांक

Bear
DEAN
College of Horticulture
(SKN Agriculture University, Jobner)
Durgapura, Jaipur-302018

निविदादाता द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने प्लेसमेंट कार्य/सेवा इकाई की जहाँ कही भी आपूर्ति की है उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य करने/होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा विषयान्तर्गत मुझे/हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Ben
DEAN
College of Horticulture
(SKN Agriculture University, Jobner)
Durgapura, Jaipur-302018

FORM NO.1

(See Rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement, Act 2012

Appeal No..... of

Before the..... (First /Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

- (i) Name of the appellant :
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the

respondent(s) : (i)

(ii)

(iii)

2. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:**3. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :****4. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :****6. Ground of appeal:**.....
.....
.....

.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:.....
.....

Appellant's signature :

Place:

Date:

B.
DEAN
 College of Horticulture
 (SKN Agriculture University, Jobner)
 Durgapura, Jaipur-302018

Format of Affidavit

I _____ S/o _____ Aged _____ Yrs _____

Residing at _____

Proprietor/Partner/Director of M/s _____ do hereby solemnly affirm and declare that:

- a. My/Our above noted enterprise M/s
 has been issued acknowledgment of Entrepreneurial Memorandum Part-II by
 the District Industries Center..... The acknowledgement
 No. is dated and has been issued for manufacture/supply of
 following items.

Name of Item

- i)
- ii)
- iii)
- iv)
- v)
- vi)

- b. My/Our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part - II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing/supplying the above items.
 c. My/Our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture/supply the above noted items.

Signature of Proprietor/Director
 Authorized Signatory with Rubber Stamp
 and date

Date _____

Place _____

Verification

I _____ S/o _____ Aged _____
 _____ Yrs _____ Residing at _____

of Proprietor/Partner/Director of M/s

verify and confirm that the contents at (a),
 (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has
 been concealed there in. So help me God.

Deponent

Ram
DEAN
 College of Horticulture
 (SKN Agriculture University, Jobner)
 Durgapura, Jaipur-302018

निविदा हेतु शर्ते

लिफाफा नं. 01

(तकनीकी बिड़)

श्रमिक आपूर्ति एवं साफ सफाई कार्य हेतु निविदा के लिए निर्धारित शर्ते :-

1. लिफाफा नं. 01 में वित्तीय बिड़ के अतिरिक्त अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज, संलग्न बोली प्रतिभूति राशि रु.15000/- तथा वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने पर अलग से निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 500/- का नकद/DD/BC Dean, College of Horitculture, Durgapura, Jaipur के पक्ष में लिफाफा नं. 01 में रखे।
2. लिफाफा नं. 02 में केवल वित्तीय बिड़ प्रपत्र ब यानि निविदादाता द्वारा दिये गये मजदूरी दर प्रतिदिन/साफ सफाई कार्य प्रतिमाह रहेगी तथा यह तभी खोली जायेगी यदि निविदादाता तकनीकी बिड़ में सफल रहता है।
3. दोनों लिफाफो (नं. 01 व 02) को एक लिफाफे में रखकर सील कर प्रस्तुत करना है।
4. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यादेश/क्रायादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं महाविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
5. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर को होगा।
7. कार्यादेश के अनुसार श्रमिकों की आपूर्ति करनी होगी तथा श्रमिकों की संख्या कम या अधिक हो सकती है।
8. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से श्रमिकों की आपूर्ति करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त की जा सकेगी।
9. समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 23.06.2025 को प्रातः 10.30 बजे तक उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर से प्राप्त किए जाकर दिनांक 23.06.2025 को प्रातः 12.00 बजे बजे तक स्वीकार किए जाएंगे एवं निविदा समिति द्वारा दिनांक 23.06.2025 को दोपहर 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएँगे। अपूर्ण एवं निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्ते निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
11. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द होनी चाहिए। निविदा का विवरण लिफाफे के ऊपर साफ लिखकर श्रीमान अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर स्पष्ट लिखकर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
12. प्रस्तावित दर अंकों में स्पष्ट लिखकर देना होगा किसी भी प्रकार की काट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। उक्त दरें कार्यादेश देने के एक वर्ष तक मात्र होगी जिसे आपसी सहमति से 3 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
13. निविदादाता/फर्म का केन्द्र/राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना चाहिए है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
14. निविदादाता/फर्म पिछले तीन साल का टर्न ओवर प्रमाण-पत्र सी.ए. से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।
15. प्रस्तावित दर देने से पूर्व समस्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्ते कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रुपये 500/- Dean, College of Horitculture, Durgapura, Jaipur के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक या नगद राशि का भुगतान कर दिनांक 23.06.2025 को प्रातः 10:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं तथा भरे हुये निविदा फार्म प्रातः 12.00 बजे तक जमा कराने होंगे अथवा www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किये गये फार्म के साथ निविदा शुल्क रुपये 500/- Dean, College of Horitculture, Durgapura, Jaipur के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक निविदा प्रपत्र के साथ लिफाफा नम्बर एक में रखना

Benn
DEAN
 College of Horticulture
 SVN Agriculture University, Jobner
 (SVN Agriculture University, Jaipur-302018)

- होगा। कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ईपीएफ/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एंव दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए इस संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. अगर निविदादाता/फर्म अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है व श्रमिकों को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटा दिया जावेगा और जमा अमानत राशि भी जला कर ली जाएगी।
 18. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
 19. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एंव उम्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एंव कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस संस्था को प्रस्तुत करनी होगी।
 20. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एंव राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
 21. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तों निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एंव वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
 22. उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्म में दर्शायी गयी हैं) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
 23. न्यूनतम मजदूरी दर राजस्थान सरकार (श्रम विभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ. 8(5)(6) न्यू.म.अभि./आई.आर. /श्रम/2000/पार्ट/15340 जयपुर, दिनांक 30.07.2021/समय-समय पर राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के नियमानुसार लागू होगी।
 24. निविदा निर्धारित पत्र में ही भरनी होगी।
 25. यदि इस संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधनों की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिए आवश्यकता होगी तो ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी का गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
 26. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर इस संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
 27. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई राशि का विवरण इस संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण के बाद इस संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा। प्रत्येक माह श्रमिकों के भुगतान की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
 28. विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता/फर्म के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने की शिकायत पर महाविद्यालय कमेटी द्वारा निर्धारित पेनल्टी के हिसाब से उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर में शास्ति (पेनल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। भुगतान देरी से होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
 29. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
 30. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एंव ई.एस.आई. जमा कराना होगा जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
 31. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एंव संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
 32. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एंव ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

 DEAN
College of Horticulture
(SKN Agriculture University, Jobner)
Durgapura, Jaipur-302018

33. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर यदि वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि नियमानुसार लगती है तो इसे अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान के प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
34. श्रम विभाग के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
35. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्पार्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
36. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
37. फर्म/प्लेसमेंट ऐजेंसी की RTPPA 2012, RTPPR 2013 एवं GF&AR में उपलब्ध प्रावधान की पालना करनी होगी तथा उल्लंघन पर प्रावधानानुसार कार्यवाही/शास्ति /पेनल्टी वसूली जावेगी।
38. श्रमिकों को लाने, ले जाने, आदि कार्य व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
39. चौकीदार/लेबर आदि अपनी उपस्थिति प्रत्येक माह कार्य से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापित करायेगा। अधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन के पश्चात ही उस माह का मानदेय देय होगा।
40. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
41. किसी भी शर्त की पूर्ववत पालना न होने पर निविदा किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
42. माहवार कार्य की गणना 26 दिवस (श्रम विभाग राजस्थान सरकार अधिसूचना क्रमांक/एफ. 5 (6)/न्यू.म./श्रम/2000/ पार्ट/1125 दिनांक 16.01.2018) के हिसाब से की जावेगी एवं नियमानुसार टीडीएस काटा जावेगा।
43. निविदा प्रपत्र भरने हेतु आधार/पैनकार्ड होना आवश्यक है (जिसकी स्व हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें)।
44. कार्यों का भुगतान संतोषजनक होने पर ही प्रत्येक माह का भुगतान देय होगा किसी भी लापरवाही के चलते व अनुपस्थिति की अवस्था में दैनिक वेतन काटने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
45. किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यदि श्रमिक कार्यालय से अनुपस्थित पाया जाता है या कार्य में लापरवाही पायी जाती है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
46. यह ठेका किसी अन्य फर्म को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिस फर्म के नाम ठेका है वही कार्य करेगी अन्य कोई नहीं। फर्म खुद श्रमिक लगाकर इन कार्यों को करवा सकती है जिसका भुगतान फर्म अपने स्वयं के मासिक भुगतान में से करेगी।
47. महाविद्यालय में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिक उपलब्ध करवाने हेतु निविदाकर्ता बाध्य होगा। यदि निविदाकर्ता समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाता है तो कार्य को देखते हुए महाविद्यालय अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा तथा अतिरिक्त राशि का श्रमिकों को किया गया भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
48. किसी भी ब्लैक लिस्टेट फर्म व जिस फर्म का पूर्व में किसी भी तरह किसी संस्था व इस केन्द्र द्वारा उसका भुगतान काटा गया हो तो वह इस कार्य के ठेके में अपना आवेदन नहीं कर सकता।
49. समस्त भुगतान स्वीकृत फर्म/प्लेसमेंट ऐजेंसी को चैक/NEFT द्वारा किया जावेगा।
50. श्रमिकों को संबंधित कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
51. कार्यालय में श्रमिक आवश्यकतानुसार ही लगाएंगे जाएंगे व नियोजित करने का अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
52. निविदादाता उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने हेतु पाबन्द रहेगा।
53. सफल निविदादाता को अद्विकुशल, कुशल, एवं उच्च कुशल के लिए सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता का प्रमाण देना होगा।
54. राजस्थान सरकार द्वारा दरों में किसी भी प्रकार का संशोधन किये जाने पर संशोधित दरों लागू होगी।
55. दो या दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा दी गयी दरों में यदि समानता होती है तो अधिक्षाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा किया गया निर्णय अंतिम व् सर्वमान्य होगा।
56. अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग फर्मों के न्यूनतम दरों प्राप्त होने पर निविदा का विभाजन नहीं किया जायेगा।

 **DEAN**
 College of Horticulture
 (SKN Agriculture University, Durgapura, Jaipur-302018)

57. उक्त शर्तों को अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर एवं मौहर लगाना अनिवार्य है।
58. यदि कोई फर्म न्यूनतम दर पर कुछ भी सर्विस चार्ज नहीं दर्शाती है तो ऐसी फर्म को Nonresponsive माना जायेगा।
59. इस टैंडर के लिए फर्म का औसत तीन साल का टर्न ओवर Rs. 10.00 लाख होना जरुरी है।
60. सरकारी संस्थान में फर्म का कार्य सन्तोषजनक होना अनिवार्य है जिसका प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लगाना होगा।
61. निविदा खुलने के समय निविदादाता उपस्थित हो सकते हैं।
62. सफल निविदादाता उपरोक्त शर्तों की सहमति दो गवाहों से सत्यापित करवाकर रु. 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र (वर्क एग्रीमेन्ट) लिखकर कार्यालय में देना होगा तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 5 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक Dean, College of Horticulture, Durgapura, Jaipur के पक्ष में जमा कराना होगा। धरोहर राशि को इसमें समायोजित किया जा सकता है। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
63. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
64. श्रमिकों को उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर में ऑफिस कार्य, छात्रावास, प्रयोगशाला कार्य, कम्प्युटर ऑपरेटर, स्टोर, चौकीदारी साफ-सफाई, कृषि कार्य एवं अन्य सम्बन्धित कार्य हेतु लगाया जा सकता है।
65. बिल का भुगतान माह पूरा होने के पश्चात् कोष-कार्यालय जोबनेर से बिल पास होने के बाद ऑनलाईन किया जायेगा। अतः खातों की समस्त सूचना उपलब्ध करवानी होगी।
66. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आवीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
67. आवश्यकतानुसार श्रमिक सप्लाई करना होगा।
68. संवेदक को बिल के साथ गत माह का सम्बन्धित कार्मिक का बैंक भुगतान स्टेटमैन्ट, ई.पी.एफ व ई.एस. आई का ईसीआर संलग्न करना होगा। इसके अभाव में बिल प्रोसेस नहीं होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मौहर

 DEAN
 College of Horticulture
 (SKN Agriculture University, Jobner)
 Durgapura, Jaipur-302018

उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर

(लिफाफा नं. 2 में रखे)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

वित्तीय निविदा प्रपत्र – ब

खुली निविदा की वित्तीय बिड़ में दरें निम्नानुसार ही भरे।

1. सभी श्रेणी के श्रमिकों की दरें

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी मय संख्या		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत (13.00%)	ESI दर प्रतिशत (3.25%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल लागत राशि प्रतिदिन/प्रति 8 घण्टे (4+5+6+7=8)
		कार्य हेतु आवश्यक मानक के साधन का प्रकार	न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल श्रमिक	अकुशल श्रमिक	285/-					
2	अर्द्धकुशल श्रमिक	अर्द्धकुशल श्रमिक	297/-					
3	कुशल श्रमिक	कुशल श्रमिक	309/-					
4	उच्चकुशल श्रमिक	उच्च कुशल श्रमिक	359/-					

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय मोहर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

 DEAN
College of Horticulture
(SKN Agriculture University, Jobner)
Durgapura, Jaipur-302018

उद्यानिकी महाविद्यालय, दुर्गपुरा, जयपुर

2. साफ-सफाई हेतु दरे :-

क्र. सं	साफ-सफाई कार्य का विवरण	कर सहित कार्य की मासिक लागत (रु.)
1.	<p>महाविद्यालय परिसर के सभी कमरों, प्रयोगशालाओं, गैलेरी, खुली जगह, कार्यालय आदि की साफ-सफाई, फिनाईल से पौचा लगाना, महाविद्यालय के Toilets एवं Latrines की साफ सफाई। रोजाना कचरा इकट्ठा करके उचित स्थान पर डालना होगा।</p> <p>नोट:- 1. उक्त साफ-सफाई में कार्य करने वाले कामगारों की महाविद्यालय में 8 घंटे की डयूटी अनिवार्य होगी।</p> <p>2. निविदादाता निविदा भरने से पूर्व महाविद्यालय के साफ-सफाई स्थानों को देख कर कार्य की मासिक दर निविदा में डालें।</p> <p>3. साफ सफाई में उपयोग आने वाले सामान/सामग्री महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।</p>	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

B-1

DEAN
 College of Horticulture
 (SKN Agriculture University, Jobner)
 Durgapura, Jaipur-302018